रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 412] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 18, 2017/आश्विन 26, 1939
No. 412] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 18, 2017/ASVINA 26, 1939

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2017

सं. 18.12/2017. सोवा–रिग्पा(एम एस ई).– भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 36 की उप–धारा (1) के खंड (झ), (ञ) और (ट) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से सोवा–रिग्पा चिकित्सा पद्वति में शिक्षा के न्यूनतम मानकों कोविनियमित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:–

1.संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :– (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (पूर्व स्नातक सोवा–रिग्पा चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2.लक्ष्य और उद्देश्य –सोवा–रिग्पा की स्नातक शिक्षा का उद्देश्य व्यापक प्रायोगिक प्रशिक्षण अग्यूड–बझी (चार तंत्र)का गहन ज्ञान रखने वाले स्नातक एवं सोवा रिग्पा के अन्य सम्पूरक पाठ तैयार करना होगा जो सभी को स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए स्वस्थ रखने की इस अनूठी प्रणाली को सुरक्षित रखने और पुनर्जीवित करके और जो उत्तरदायी तथा अर्हित चिकित्सक एवं शल्य–चिकित्सक बनेंगे।

3. प्रवेश अर्हता :–सोवा–रिग्पा की स्नातकीय शिक्षा में प्रवेश लेने की पात्रता निम्न प्रकार हैं :–

(क) 12वीं कक्षा विज्ञान विषयों(भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान सहित) या सम्बंधित राज्य सरकार, शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण; या

(ख) भूति भाशा सहित 12वीं कक्षा, बौद्ध दर्शन और तर्क; या

(ग) मैट्रिकुलेशन परीक्षा के पश्चात सोवा–रिग्पा का इतिहास और मूल सिद्धान्तों संबंधी दो वर्षीय प्रांरभिक पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र

(दस–रा–वा) उत्तीर्ण किया हों ; या

(घ) विदेशी छात्रों के लिए कोई भी अन्य समकक्ष अर्हता जो सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित हो, अनुज्ञात की जाएं।

4. पाठ्यक्रम की अवधि :–मेनपा कचूपा (बैचलर ऑफ सोवा–रिग्पा मेडिसिन एण्ड सर्जरी –बीएसआरएमएस) उपाधि पाठ्यक्रम की अवधि पांच वर्ष एवं छह मास होगी जिसमें समाविष्ट हैं :–

(क) प्रथम व्यावसायिक	–	12 मास
(ख) द्वितीय व्यावसायिक	–	12 मास
(ग) तृतीय व्यावसायिक	–	12 मास
(घ) अंतिम व्यावसायिक	–	18 मास
(ड़) अनिवार्य आवर्तक प्रशिक्षुकता	–	12 मास

5. प्रदान की जाने वाली उपाधि :–अभ्यर्थी को सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने तथा अध्ययन की विस्तृत विहित अवधि पूर्ण करने और बारह मास के अनिवार्य आवर्ती प्रशिक्षुकता को पूर्ण करने के पश्चात् मेनपा कचूपा (बैचलर ऑफ सोवा–रिग्पा मेडिसिन एण्ड सर्जरी – बीएसआरएमएस)की उपाधि प्रदान की जायेगी।

6. शिक्षा का माध्यम :–पाठ्यक्रम की शिक्षा का माध्यम भूति भाशा होगी।

7. परीक्षा की प्रणाली:–(1) (क) प्रथम व्यावसायिक सत्र साधारणतया जुलाई में आरंभ होगा और प्रथम व्यावसायिक परीक्षा प्रथम व्यावसायिक सत्र के एक शैक्षणिक सत्र की समाप्ति पर आयोजित होगी।

(ख) प्रथम व्यावसायिक परीक्षा निम्नलिखित विषयों में होगी; अर्थात्–

(i) आरटसा आरगयूड–1 (सोवा–रिग्पा का इतिहास);

(ii) आरटसा आरगयूड– II (सोवा–रिग्पा के मूल सिद्धांत);

(iii) लूस कयी गनास लूग्स; (शरीर रचना विज्ञान)

(iv) लूस कयी मत्शान नईद; (शरीर क्रिया विज्ञान)

(v) न्फीदरीप ग्नत (विकार की विशेशता); एवं

(vi) भूति भाषा दस्तावेज

(ग) दो विषयों से अनधिक विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र द्वितीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु सत्र के लिए पात्र माना जाएगा, और जब तक वह छात्र प्रथम व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषयों में उत्तीर्ण नहीं हो जाता, तब तक उस छात्र को द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

(2) (क) द्वितीय व्यावसायिक सत्र प्रथम व्यावसायिक परीक्षा के पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष जुलाई मास में आरंभ होगा और द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा सत्र के एक वर्ष के पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष मई अथवा जून मास के अंत तक आयोजित की जाएगी तथा पूरी की जायेगी।

(ख) द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा निम्न विषयों में आयोजित होगी, अर्थात्–

(i) जस टंग–स्कोड लैम (पथ्य के नियम और समुदाय औषधि);

(ii) स्बयोर वा स्मान–1 (मेटिरिया मेडिका–वनस्पति जगत);

(iii) स्बयोर वा स्मान – II;(मेटिरिया मेडिका–धातु, खनिज और प्राणी जगत)

(iv) ग्सो तशूल बशद पा; (चिकित्सीय सिद्धांत); और

(v) फीमा' आई आरग्यूद–जी चेड स्मान गी म्डू (औषधालय)

(ग) दो विषयों से अनधिक विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र तृतीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु सत्र के लिए पात्र माना जाएगा, और जब तक वह छात्र द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषयों में उत्तीर्ण नहीं हो जाता, तब तक उस छात्र को तृतीय व्यावसायिक परीक्षा में बैठने की अनुमति नही होगी।

(3) (क) तृतीय व्यावसायिक सत्र द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा के पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष जुलाई मास में प्रारम्भ होगा एवं तृतीय व्यावसायिक परीक्षा साधारणतया तृतीय व्यावसायिक सत्र के एक वर्ष के पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष मई अथवा जून माह के अंत तक होगी तथा पूरी की जाएगी।

(ख) तृतीय व्यावसायिक परीक्षा निम्नलिखित विषयों में होगी, अर्थात्–

(i) ग्नट रत्कस थापस(सामान्य विकृति विज्ञान);

(ii) मैन नग्ग रग्यूद–लूस स्टोड सोवा (सिर ओर गर्दन के विकार);

(iii) मैन नग्ग रग्यूद–लूस टोन स्नोड सोवा एण्ड संग ग्नास (छाती, पेट और जननांगों के विकार); और

(iv) मैन नग्ग रग्यूद–लहान स्केसर मा (घातक ट्यूमर, रक्त और रक्त वाहिकाओं के विकार)

(ग) दो विषयों से अनधिक विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र अन्तिम व्यावसायिक पाठयक्रम हेतु सत्र के लिए पात्र माना जाएगा, और जब तक वह छात्र तृतीय व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषयों में उत्तीर्ण नहीं हो जाता, तब तक उस छात्र को अन्तिम व्यावसायिक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

(4) (क) अंतिम व्यावसायिक सत्र एक वर्ष एवं छह मास की अवधि का होगा तथा तृतीय व्यावसायिक परीक्षा के पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष जुलाई मास में प्रारम्भ होगा एवं अंतिम व्यावसायिक परीक्षा साधारणतया अंतिम व्यावसायिक सत्र के एक वर्ष एवं छह मास पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष नवम्बर एवं दिसम्बर मास के अंत तक होगी तथा पूरी की जायेगी।

(ख) अंतिम व्यावसायिक परीक्षा निम्नलिखित विषयों में होगी, अर्थात्–

(i) लूस–नद सोवेय समान (सामान्य औषधि);

(ii) मैन न्गाग आरग्यूद–बायिस पा गसो बा (नवजात की देखभाल और बाल विकार चिकित्सा);

(iii) मैन न्गाग आरग्यूद–मोनद सोवा (स्त्री रोग एवं प्रसूति विकार);

(iv) आरटसब आरचड और रमा सोवा (घाव ओर शल्य चिकित्सा); और

(v) फीमा'आई आरग्यूड–लैस नगा टंग, जाम, चड (बाहरी और कायाकल्प चिकित्सा)

(ग) अंतिम वर्ष की परीक्षा के सभी विषयों में उतीर्ण छात्र एक वर्ष की अनिवार्य इन्टर्नशिप में प्रवेश लेने हेतु पात्र होगा।

8. अनिवार्य आवर्ती इंटर्नशिप–(1) अनिवार्य आवर्ती इंटर्नशिप की अवधि एक वर्ष होगी और छात्र प्रथम से अन्तिम व्यावसायिक परीक्षाओं के समस्त विषय उत्तीर्ण करने के पश्चात् अनिवार्य इंटर्नशिप में सम्मिलित होने का पात्र होगा।

(2) इंटर्नशिप का कार्यक्रम अंतिम व्यवसायिक परीक्षा का परिणाम घोशित होने के पश्चात् आरंभ होगा।

(3) इंटर्नशिप का कार्यक्रम एवं समय का वितरण निम्न प्रकार होगाः–

(क) प्रशिक्षु ऐसी प्रशिक्षुता अभिविन्यास कार्यक्रम में भाग लेंगे जो इंटर्नशिप कार्यक्रम के प्रांरभ की प्रथम तीन दिन के दौरान आयोजित किया जाएगा और प्रत्येक प्रशिक्षु को एक कार्य पुस्तिका दी जाएगी जिसमें प्रशिक्षु प्रशिक्षुता के दौरान प्रशिक्षु द्वारा किए गए क्रियाकलापों का तारीखवार ब्यौरे की प्रविष्टि करेगा;

(ख) प्रत्येक प्रशिक्षु प्रशिक्षुता कार्यक्रम में सम्मिलित होने से पूर्व सम्बन्धित राज्य बोर्ड/परिषद् में अपना नाम अस्थायी रूप से पंजीकृत कराएगा तथा इस संबंध में प्रमाण–पत्र प्राप्त करेगा;

(ग) प्रशिक्षु का दैनिक कार्य–समय आठ घंटे से कम का नहीं होगा;

(घ) सामान्यतः एक वर्षीय प्रशिक्षुता कार्यक्रम महाविद्यालय से संलग्न सोवा–रिग्पा अस्पताल में छह मास के नैदानिक (क्लीनिकल) प्रशिक्षण एवं पी.एच.सी/सी.एच.सी./ग्रामीण अस्पताल/जिला अस्पताल/सिविल अस्पताल अथवा आधुनिक चिकित्सा के किसी सरकारी अस्पताल में छह मास के नैदानिक(क्लीनिकल) प्रशिक्षण में विभक्त किया जायेगा;

परन्तु जहां राज्य में राज्य सरकार की अनुमति सोवा–रिग्पा स्नातकों को अनुज्ञात करने की आधुनिक औषधि के अस्पताल एवं औषधालय में उपबंध या अनुमति नहीं है वहां एक वर्ष की प्रशिक्षुता सोवा–रिग्पा महाविद्यालय के अस्पताल में पूर्ण कराया जायेगा।

(4) प्रशिक्षु को प्रशिक्षुता की अवधि के दौरान निम्नलिखित क्रियाकलापों के साथ व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षित किया जाएगाः–

(क) पल्स विश्लेषण, मूत्रविज्ञान, मल परीक्षा, प्रयोगशाला परीक्षा, मामला लेने, सोवा रिग्पा द्वारा सामान्य रोगों के निदान और प्रबंधन में प्रशिक्षण;

(ख) उपचार पद्धतियों सहित लम्बे समय तक जांच के माध्यम से रोगी के व्यक्तिगत उपचार जैसे कि आहार, व्यवहार प्रबंधन, दैनिक दिनचर्या में संतुलन;

(ग) बालकों के कानों पर नसों की जांच, बालकों के मूत्र का विश्लेषण तथा वमन के विश्लेषण के माध्यम से बाल विकारों का निदान तथा आहार और चिकित्सा के माध्यम से रोगों का उपचार;

(घ) नाड़ी अनुभूति, मूत्र का विश्लेषण, पूछताछ, रोगी को देखकर और रोगी के शरीर को स्पर्श करने के माध्यम से स्त्री रोग सम्बन्धी विकारों का निदान;

(ड) शल्य चिकित्सा के उपचार जैसे स्वर्ण सुई चिकित्सा पद्धति, तांबे के कप के माध्यम से उपचार, मोक्सीबस्टन का उपयोग, शिराशल्य क्रिया (रक्त मोक्षण) औषधीय स्नान, हल्की मालिश चिकित्सा और वसंत जल उपचार की तैयारी;

(च) कुछ बीमारियों का प्रबन्धन जैसे अस्थिभंग और विस्थापन, मामूली कट, आंतरिक और बाहरी घावों का प्रबन्धन;

(छ) निम्नानुसार अनुक्रम में पांच चिकित्सीय पद्धतियों के वास्तविक अनुप्रयोग में प्रशिक्षण;–

(i) तेल चिकित्सा पद्धति के वास्तविक अनुप्रयोग और विकार की प्रकृति के अनुसार आवश्यक विभिन्न तेल तैयार करना;

(ii) शुद्धिकरण के अनुप्रयोग में प्रशिक्षण, शुद्धिकरण के समय को समझना;

(iii) नासिका थैरेपी के अनुप्रयोग में प्रशिक्षण और नासिका की चिकित्सा के मुख्य और अन्य फार्मूलों की जटिलता को समझना;

(iv) जिस आधार पर हल्के एनीमा को लागू किया जाना चाहिए; हल्के एनीमा के लिए विभिन्न प्रकार के यौगिकों और हल्के

एनीमा देने के तरीके और इसके लाभ।

(v) उपयुक्त जगह और मौसम के अनुसार वास्तविक प्रशासन चैनल की सफाई, सफल चैनल सफाई के लक्षण।

(5) प्रशिक्षुओं को छह मास का प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम से प्रशिक्षुओं को अवगत एवं परिचित कराने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जायेगा और प्रशिक्षु को ऐसे प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व लेने हेतु निम्नलिखित में से किसी एक संस्थान में सम्मिलित होना होगा, यथा :–

(क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र;

(ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा जिला अस्पताल;

(ग) मान्यता प्राप्त या अनुमोदित आधुनिक चिकित्सा का कोई अस्पताल;

(घ) मान्यता प्राप्त अथवा अनुमोदित किसी सोवा रिग्पा अस्पताल अथवा औषधालय;

परन्तु उपर्युक्त सभी संस्थान सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं सम्बन्धित सरकार के पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा ऐसे प्रशिक्षण लेने के लिए मान्यता प्राप्त होंगे ।

9.प्रशिक्षुता का स्थानान्तरण –(1) दो भिन्न विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के बीच स्थानान्तरण के मामले में प्रशिक्षुता का स्थानान्तरण महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय दोनों की सहमति से होगा ।

(2) यदि स्थानान्तरण मात्र एक ही विश्वविद्यालय के महाविद्यालय से महाविद्यालय का है तो मात्र दोनों महाविद्यालयों की सहमति की आवश्यकता होगी।

(3) यथास्थिति, संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण– पत्र तथा महाविद्यालय व विश्वविद्यालय द्वारा ''अनापत्ति प्रमाण–पत्र'' के साथ अग्रेषित किये गये आवेदन के प्रस्तुत किये जाने पर स्थानान्तरण विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

10. परीक्षा–(1) लिखित परीक्षा पास करने हेतु न्यूनतम अंक पचास प्रतिशत एवं प्रायोगिक अथवा नैदानिक अथवा मौखिक,जो भी लागू हो प्रत्येक विषय में अलग–अलग पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।

(2) विषय में पचहत्तर प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को संस्थान के नियम के अनुसार उस विषय में विशिष्टता प्रदान की जाएगी।

(3) पूरक परीक्षा नियमित परीक्षा के छह मास के भीतर होगी तथा अनुत्तीर्ण छात्र, यथास्थिति, इसकी पूरक परीक्षा में बैठने हेतु पात्र होंगे।

(4) परीक्षा में बैठने के लिए प्रत्येक विषय की सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक कक्षा में छात्र की न्यूनतम पचहत्तर प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सम्बन्ध में, विभिन्न विषयों के लिए प्रत्येक छात्र हेतु एक कक्षा उपस्थिति कार्ड का अनुरक्षण किया जायेगा। प्रधानाचार्य प्रत्येक व्याख्यान तथा प्रायोगिक शिक्षण की प्रत्येक अवधि की समाप्ति पर छात्रों तथा शिक्षकों के हस्ताक्षर प्राप्त करने का प्रबन्ध करेगा तथा प्रत्येक परीक्षा के प्रारम्भ होने से पूर्व अन्तिम समापन हेतु प्रत्येक विभागाध्यक्ष को कार्ड भेजेगा।

11. प्रश्न पत्रों की संख्या तथा सैद्धान्तिक तथा प्रायोगिक के लिए अंक :–प्रश्न पत्रों की संख्या, सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक के लिए अंक और शिक्षण के घंटो की संख्या निम्न सारणी में दर्शायी गई अनुसार होगी :–

सारणी

क्रम संख्या	**विषयों के नाम**	**शिक्षण के घण्टो की संख्या**			**अधिकतम अंको का विवरण**			
				प्रथम व्यावसायिक				
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
		सिद्धान्त	**प्रायोगिक**	**कुल**	**प्रश्न पत्रों की संख्या**	**सिद्धान्त**	**प्रायोगिक**	**कुल**
1.	(i) आर टसारगियुद-1 (सोवा-रिग्पा का इतिहास)	100	--	100	1	100	--	100

2.	(ii) आर टसारगियुद-11 (सोवा-रिग्पा के मूल सिद्धान्त)	100	--	100	1	100	--	100
3.	(iii) लूस कयी इग्नास लूग्स (शरीर रचना विज्ञान)	200	100	300	1	100	100	200
4.	(iv) लूस कयी मत्शान नईद (शरीरक्रिया विज्ञान)	200	100	300	1	100	100	200
5.	(v) न्फीदरीप ग्नत (विकार की विशेषता)	100	50	150	1	100	--	100
6.	(vi) मौखिक परीक्षा	--	--	--	--	--	100	100
7.	(vii) डोंगड्रम-अली जोरिकल ट्री	--	50	50	--	--	50	50
8.	(viii) भूति	100	--	100	1	100	--	100
				द्वितीय व्यावसायिक				
9.	(i) जस टंग-स्कोड लैम (पथ्य के नियम और समुदाय चिकित्सा)	100	100	200	1	100	100	200
10.	(ii) स्बयोर वा स्मान—1 (मेटिरिया मेडिका-वनस्पति जगत)	100	100	200	1	100	--	100
11.	(iii) स्बयोर वा स्मान - II; (मेटिरिया मेडिका-धातु, खनिज ओर पशु जगत)	100	100	200	1	100	100	200
12.	(iv) ग्सो तशूल बशद पा; (चिकित्सीय सिद्धांत)	100	--	100	1	100	--	100
13.	(v) फीमा' आई आरग्यूद-जी चेड स्मान गी म्डू औषध विज्ञान	150	100	250	1	100	100	200
14.	(vi) मौखिक परिक्षा	--	--	--	--	--	100	100
15.	(vii) डोंगड्रम-अलीजोरिकल ट्री	--	50	50	--	--	50	50

				तृतीय व्यावसायिक				
16.	(i) ग्नट रत्कस थापस (सामान्य विकृति विज्ञान)	200	100	300	1	100	100	200
17.	(ii) मैन नग्ग रग्यूद-लूस स्टोड सोवा (सिर और गर्दन के विकार)	100	100	200	1	100	100	200
18.	(iii) मैन नग्ग रग्यूद-लूस टोन स्नोड सोवा एण्ड संग ग्नास (वक्ष, उदर और जननांगो के विकार)	100	100	200	1	100	100	200
19.	(iv) मैन नग्ग रग्यूद- ठोर नाड	100	100	200	1	100	100	200
20.	(v) मैन नग्ग रग्यूद-लहान स्केसर मा (घातक ट्यूमर, रक्त और रक्त वाहिकाओं के विकार)	100	100	200	1	100	100	200
21.	(vi) मौखिक परीक्षा	--	--	--	--	--	100	100
22.	(vii) डोंगड्रम-अलीजोरिकल ट्री	--	--	--	--	--	50	50
				अन्तिम व्यावसायिक				
23.	(i) लूस-नद सोवेय समान (सामान्य मेडिसिन)	150	100	250	1	100	100	200
24.	(ii) मैन न्नाग आरग्यूद-बायिस पा गसो बा (नवजात की देखभाल और बाल विकार चिकित्सा)	100	100	200	1	100	100	200
25.	(iii) मैन न्नाग आरग्यूद-मोनद सोवा (स्त्रीरोग एवं प्रसूति संबंधी विकार)	100	100	200	1	100	100	200
26.	(iv) आरटसब आरचड और रमा सोवा (घाव और शल्य चिकित्सा)	150	100	250	1	100	100	200

27.	(v) फीमा' आई आरग्यूड-लैस नगा टंग, जाम, चड (बाह्य कायाकल्प चिकित्सा)	150	100	250	1	100	100	200
28.	(vi) मौखिक परीक्षा	--	--	--	--	--	100	100
29.	(vii) डोंगड्रम-अलीजोरिकल ट्री	--	--	--	--	--	50	50

टिप्पणी :– सिद्धान्त तथा प्रयोगिक की अवधि साठ मिनट (एक घण्टा) से कम नही होगी।

12. शिक्षण कर्मचारीवृंद के लिए अर्हताएं एवं अनुभव– शिक्षण कर्मचारीवृंद के लिए अर्हताएं एवं अनुभव निम्नवत् होंगे :–

(क) अनिवार्य अर्हताएं :– विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय अथवा सांवधिक बोर्ड अथवा संकाय अथवा भारतीय चिकित्सा की परीक्षा निकाय द्वारा प्रदत्त सोवा रिग्पा अथवा इसके समकक्ष उपाधि ।

(ख) अनुभव–

(i) आचार्य के पद के लिए– कुल पांच वर्षों का शिक्षण अनुभव अनिवार्य है जिसमें से तीन वर्षों का रीडर या सह–आचार्य का शिक्षण अनुभव।

(ii) सह–आचार्य या रीडर के पद के लिए:– तीन वर्षों का शिक्षण अनुभव।

(iii) सहायक आचार्य या व्याख्याता के पद के लिए – किसी अध्यापन अनुभव की आवश्यकता नहीं है एवं नियुक्ति के समय आयु पैंतालीस वर्ष से अधिक न हो।

13. सोवा रिग्पा में परीक्षक की नियुक्ति– परीक्षक की नियुक्ति सम्बन्धित विश्वविद्यालय में विद्यमान मापदंड अनुसार की जाएगी।

के. नटराजन, निबंधक–सह–सचिव

[विज्ञापन–III/4/असा./283/17]

टिप्पणी : अंग्रेजी एवं हिन्दी विनियम में कोई विसंगति पायी जाती है, तो अंग्रेजी विनियम नामतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (पूर्व स्नातक सोवा–रिग्पा चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2017 को अंतिम माना जायेगा।

THE CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2017

No. 18-12/2017-Sowa-Rigpa (MSE).— In exercise of the powers conferred by clauses (i), (j) and (k) of sub-section (1) of Section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Council of Indian Medicine, with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to regulate the minimum standards of education in Sowa-Rigpa system of medicine, namely:-

1. Short title and commencement.-(1) These regulations may be called the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of under-graduate Sowa-Rigpa Medical Education) Regulations, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Aims and Objects.- The bachelor of Sowa-Rigpa education shall aim at producing graduates, having profound knowledge of r Gyud-b Zhi (Four Tantras) and other supplementary texts of Sowa-Rigpa who shall become responsible and qualified physicians and surgeons, thereby preserving and reviving this unique system of healing to provide health to everybody.

3. Admission qualification.-The eligibility to seek admission in Bachelor of Sowa-Rigpa education are as under-

(a) 12th Standard with science (Physics, Chemistry and Biology) or any other equivalent examination recognised by concerned State Government, education boards; or

(b) 12th Standard with Bhoti language, Buddhist philosophy and logic; or

(c) after matriculation passed certificate of 2-year preliminary course (Dus-Ra-Wa) on the history and fundamentals of Sowa Rigpa; or

(d) for foreign student any other equivalent qualification to be approved by the University concerned may be allowed.

4. Duration of course.- The duration of the Menpa Kachupa (Bachelor of Sowa-Rigpa Medicine and Surgery-BSRMS) degree course shall be five years and six months comprising:-

(a) First professional	-	Twelve months
(b) Second professional	-	Twelve months
(c) Third professional	-	Twelve months
(d) Final professional	-	Eighteen months
(e) Compulsory Rotatory Internship	-	Twelve months.

5. Degree to be awarded.- The candidate shall be awarded Menpa Kachupa (Bachelor of Sowa-Rigpa Medicine and Surgery – B.S.R.M.S.) degree after passing all the examinations and completion of the prescribed course of study extending over the prescribed period and the compulsory rotatory internship extending over twelve months.

6. Medium of instruction.-The medium of instruction for the course shall be Bhoti language.

7. Scheme of examination.-(1) (a) The first professional session shall ordinarily start in July and the first professional examination shall be at the end of one academic year of first professional session.

(b) The first professional examination shall be held in the following subjects, namely:-

(i) rTsarGyud- I (History of Sowa Rigpa);

(ii) rTsarGyud- II (Fundamentals of Sowa-Rigpa);

(iii) Luskyignas lugs (Anatomy);

(iv) Luskyimtshannyid (Physiology);

(v) nPhidripgNat(Characteristic of disorders); and

(vi) Bhoti Language paper.

(c) A student failed in not more than two subjects shall be held eligible to keep the terms for the second professional course, and shall not be allowed to appear for second professional examination unless the student passes in all the subjects of the first professional.

(2) (a) The second professional session shall start every year in the month of July after completion of first professional examination and the second professional examination shall be ordinarily held and completed by the end of month of May or June every year after completion of one year of second professional session.

(b) The second professional examination shall be held in the following subjects, namely:-

(i) Zas tang- schodlam (Dietics & Community Medicine);

(ii) sByorwasman- I(Materia Medica–Plant Kingdom);

(iii) sByorwasman- II(Materia Medica–Metal, Mineral and Animal Kingdom);

(iv) gsotshulbshad pa (Therapeutic principle); and

(v) Phyima'irGyud- ZiChedSmanGimDo (Pharmacy).

(c) A student failed in not more than two subjects shall be held eligible to keep the terms for the third professional course, and shall not be allowed to appear for third professional examination unless the student passes in all the subjects of the second professional.

(3)(a) The third professional session shall start every year in the month of July after completion of second professional examination and the third professional examination shall be ordinarily held and completed by the end of the month of May or June every year after completion of one year of third professional session.

(b) The third professional examination shall be held in the following subjects, namely:-

(i) gNatrtaksthaps(Genenral Pathology);

(ii) Man ngagrgyud- LusStod Sowa (Head and Neck disorders);

(iii) Man ngagrgyud- Ton sNod Sowa and Sang gNas (Disorders of Thorax, Abdomen and Genital Organs); and

(iv) Manngagrgyud- LhanskesrMa (Malignant Tumor, Disorders of Blood and Blood vessels).

(c) A student failed in not more than two subjects shall be held eligible to keep the terms for the final professional course, and shall not be allowed to appear for final professional examination unless the student passes in all the subjects of the Third professional examination.

(4) (a) The final professional session shall be of one year and six months duration and shall start every year in the month of July following completion of third professional examination and the final professional examination shall be ordinarily held and completed by the end of month of November or December every year after completion of one year and six months of final professional session.

(b) The final professional examination shall be held in the following subjects, namely:-

(i) Lus-Nad Soway Sman (General Medicine);

(ii) Man ngagrGyud- byis pa gsoba (Neonatal care and pediatric disorders);

(iii) Man ngagrGyud-Monad Sowa (Gynecological and obstetrics disorders);

(iv) rTsubrChad and rMa Sowa (Wounds and Surgical therapy); and

(v) Phyima'IrGyud- Las Nga Tang, Jam, Chad (External and Rejuvenation Therapy).

(c) A student who passed all the subjects of final year examination shall be eligible for joining the compulsory one year internship.

8. Compulsory Rotatory Internship.-(1) The duration of Compulsory Rotatory Internship shall be one year and the student shall be eligible to join the compulsory internship programme after passing all the subjects of all professionals examinations.

(2) The internship programme shall start after the declaration of the result of final professional examination.

(3) The Internship Programme and time distribution shall be as follows:-

(a) the interns shall receive an orientation programme of internship, which shall be organised during the first three days of the beginning of internship programme and a work book shall be given to each intern, in which the intern shall enter date-wise details of activities undertaken by the intern during the internship;

(b) every intern shall provisionally register himself with the concerned State Board or Council and obtain a certificate to this effect before joining the internship program;

(c) the daily working hours of intern shall be not less than eight hours;

(d) normally one-year internship programme shall be divided into clinical training of six months in the Sowa-Rigpa hospital attached to the college and six months in the Rural Hospital or District Hospital or Civil Hospital or any Government Hospital of modern medicine:

Provided that where there is no provision or permission of the State Government for allowing the graduate of Sowa-Rigpa in the hospital or dispensary of Modern Medicine, the one-year internship shall be completed in the hospital of Sowa-Rigpa college.

(4) The intern shall be trained practically with the following activities during the period of internship:-

(a) training in pulse analysis, urology, stool examination, laboratory examination, case taking, investigations, diagnosis and management of common diseases by Sowa-Rigpa;

(b) personalised treatment of patient through long term examination along with treatment methods such as dietary, behavioural management, balances in daily routines;

(c) diagnosis of paediatric disorders through examining the nerves on ears of children, analysing the urine of children, analysing the vomit and treatment of diseases through diet and medicine;

(d) diagnosis of gynaecological disorders through sensing pulse, analysing urine, interrogation, looking at the patient and touching the patient's body;

(e) training of surgical treatment such as golden needle therapy, healing through copper cupping, use of Moxabustion, venesuction (bloodletting), preparation of medicinal bath, mild massage therapy and spring water therapy;

(f) management of certain ailments such as fractures and dislocations, management of minor cuts, internal and external wounds;

(g) training in actual application of five therapies in sequence as follow:-

(i) actual application of oil therapy and preparation of different oil required as per the nature of disorder;

(ii) training in application of purgation, understanding the time of purgation;

(iii) training in application of nasal therapy and understanding the compounding of main and other formulations of nasal therapy;

(iv) basis on which mild enema should be applied; different types of compounds for mild enema and methods of administrating mild enema and its benefit;

(v) actual administration channel cleansing in accordance with suitable place and season; signs of successful channel cleansing.

(5) Six months training of interns shall be carried out with an object to orient and acquaint the intern with the National Health Programme and the intern shall undertake such training in one of the following institutes, namely:-

(a) Primary Health Centre;

(b) Community Health Centre or District Hospital;

(c) Any recognised or approved hospital of modern medicine;

(d) Any recognised or approved Sowa-Rigpa hospital or Dispensary:

Provided that all the above institutes shall be recognised by the concerned University and concerned Government designated authority for taking such training.

9. Migration of Internship.-(1) The Migration of internship shall be with the consent of the both college and university, in case of migration is between the colleges and two different Universities.

(2) In case migration is only between colleges of the same University, the consent of both the colleges shall be required.

(3) The migration shall be accepted by the University on the production of the character certificate issued by institute or college and application forwarded by the college and University with a "No Objection Certificate", as case may be.

10. Examination.-(1)The minimum marks required for passing the examination shall be fifty per cent in theory and fifty per cent in practical or clinical or viva-voce, wherever applicable separately in each subject.

(2) A candidate obtaining seventy-five per cent marks in the subject shall be awarded distinction in the subject as per the institute rule.

(3) The supplementary examination shall be held within six months of regular examination and failed students shall be eligible to appear in its supplementary examination, as the case may be.

(4) Each student shall be required to maintain seventy-five per cent attendance in each subject (in theory and practical) for appearing in the examination and in this regard a class attendance card shall be maintained for each student for the different subjects and the Principal shall arrange to obtain the signature of the students, teachers at the end of each course of lectures and practical instructions and send the cards to each Head of the Department for final completion before the commencement of each examination.

11. Number of papers and marks for theory and practical: The number of papers, marks for theory and practical and hours of teaching shall be as shown in table below:-

TABLE

Sl. No.	Name of the subjects	No. of Hours of teaching			Details of maximum marks			
1st professional								
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
		Theory	**Practical**	**Total**	**No. papers**	**Theory**	**Practical**	**Total**
1	(i)rTsarGyud- I (History of Sowa-Rigpa)	100	--	100	1	100	--	100
2	(ii)rTsarGyud- II(Fundamentals of Sowa-Rigpa)	100	--	100	1	100	--	100
3	(iii)Luskyignas lugs (Anatomy)	200	100	300	1	100	100	200
4	(iv)Luskyimtshannyid (Physiology)	200	100	300	1	100	100	200
5	(v) nPhidripgNat(Characteristic of disorders)	100	50	150	1	100	--	100
6	(vi) Oral test	--	--	--	--	--	100	100
7	(vii)Dongdram- Allegorical tree	--	50	50	--	--	50	50
8	(viii) Bhoti	100	--	100	1	100	-	100
2nd professional								
9	(i) Zas tang- schod lam (Dietics and Community Medicine)	100	100	200	1	100	100	200
10	(ii) sByorwasman - I – MateriaMedica–(Plant Kingdom)	100	100	200	1	100	--	100
11	(iii) sByorwasman- II – MateriaMedica–(Metal, Mineral and Animal Kingdom)	100	100	200	1	100	100	200
12	(iv) gsotshulbshad pa (Therapeutic principle)	100	--	100	1	100	--	100
13	(v)Phyima'irGyud-ZiChedSmanGimDo (Pharmacy)	150	100	250	1	100	100	200
14	(vi) Oral test	--	--	--	--	--	100	100
15	(vii) Dongdram - Allegorical tree	--	50	50	--	--	50	50
3rd professional								
16	(i)gNatrtaksthaps(General Pathology)	200	100	300	1	100	100	200
17	(ii) Man ngagrgyud- LusStod Sowa (Head and Neck disorders)	100	100	200	1	100	100	200
18	(iii) Man ngagrgyud- Ton sNod Sowa and Sang gNas - Disorders of Thorax, Abdomen and Genital Organs	100	100	200	1	100	100	200
19	(iv) Man ngagrgyud- Thor nad	100	100	200	1	100	100	200

20	(v) Man ngagrgyud- LhanskesrMa - Malignant Tumor, Disorders of Blood and Blood vessels	100	100	200	1	100	100	200
21	(vi) Oral test	--	--	--	--	--	100	100
22	(vii)Dongdram - Allegorical tree	--	--	--	--	--	50	50
Final professional								
23	(i) Lus-NadSowaySman(General Medicine)	150	100	250	1	100	100	200
24	(ii) Man ngagrgyud - byis pa gso b(Neonatal care and pediatric)	100	100	200	1	100	100	200
25	(iii) Man ngagrgyud -Monad Sowa(Gynecological and obstetrics disorders)	100	100	200	1	100	100	200
26	(iv)rTsubrChad and rMa Sowa (Wounds and Surgical therapy)	150	100	250	1	100	100	200
27	(v)Phyima'irGyud- Las Nga Tang, Jam, Chad (External and Rejuvenation Therapy)	150	100	250	1	100	100	200
28	(iv)Oral test	--	--	--	--	--	100	100
29	(vii)Dongdram - Allegorical tree	--	--	--	--	--	50	50

NOTE: The period of theory and practical shall not be less than sixty minutes (one hour).

12. Qualifications and Experience for teaching staff.-The qualifications and experience for teaching staff shall be as follows:-

(a) Essential qualification-A degree in Sowa-Rigpa from a University or College established by law or a statutory Board or Faculty or Examining Body of Indian Medicine or its equivalent.

(b) Experience-

(i) For the post of Professor: Total teaching experience of five years is necessary out of which there should be three years teaching experience as Reader or Associate Professor.

(ii) For the post of Associate Professor or Reader: Teaching experience of three.

(iii) For the post of Assistant Professor or Lecturer: No teaching experience is required and age not exceeding forty-five years.

13. Appointment of Examiner in Sowa Rigpa.-The appointment of examiner shall be decided as per the norms existing in the university concerned.

K. NATARAJAN, Registrar-cum-Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./283/17]

Note: If any discrepancy is found between Hindi and English version of Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of under-graduate Sowa-Rigpa Medical Education) Regulations, 2017 the English version will be treated as final.